न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 48/2015 G.C.M.S. No. 2015/00147 दर्ज दिनांक : 24.07.2015

अपीलार्थिगण:

1. शैतानसिंह पुत्र बिशनसिंहजी
2. डूंगरसिंह पुत्र बिशनसिंहजी, जातियान् राजपूत, निवासीगण रटुजा, तहसील व जिला जालोर
3. खीमकंवर पुत्री बिशनसिंहजी पत्नि डूंगरसिंहजी, जाति राजपूत, निवासी मगरतलाव, तहसील देसूरी, जिला पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. सांवतसिंह पुत्र बिशनसिंह जाति राजपूत, निवासी रटुजा, तहसील व जिला जालोर के कायम मुकाम :–
   1/1 अगर कंवर पुत्र सांवत सिंह
   1/2 ईश्वरसिंह पुत्र सांवतसिंह
   1/3 कुन्दनसिंह पुत्र सांवतसिंह
   1/4 श्रीमती धर्मकंवर बेवा सांवतसिंह
   1/5. श्रीमती छैलकवर पुत्री सांवतसिंहजी, पत्नि चौनसिंह
   1/6 श्रीमती पुष्पकंवर पुत्री सांवतसिंहजी, पत्नि मानसिंह तमाम जातियान राजपूत, निवासीगण रटुजा, तहसील व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी आदेश दिनांक 26.06.2015 बमुकदमा नंबर 24/2013 न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर अनवान सावंतसिंह के कायम मुकाम बनाम शैतानसिंह वगैरह

उपस्थित–

1. श्री त्रिलोकचंद मेहता, विद्वान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मधुसूदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स

निर्णय

दिनांक : 28.10.2024

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2013 बअनवान सांवत सिंह के कायम मुकाम बनाम शैतान सिंह में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि ग्राम रटूंजा तहसील जालोर के खसरा नम्बर 91 रकबा 52 बीघा 12 बिस्वा चाही सोयम लगान 55 रूपये की जमीन आयी हुई थी। जिसके नये खसरा नम्बर 287 और 288 क्रमशः रकबा 0.19 हैक्टर और 8.83 हैक्टर अभिलेख में दर्ज किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उक्त भूमि में अपना हिस्से जाहिर करते हुए अपने हिस्से की खातेदारी घोषित कराने का अनुतोष चाहा तथा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट्स को कब्जा काश्त में दखलान्दाजी व

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बेचान हस्तान्तरण से रोकने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित किया। उक्त राजस्व विविध प्रकरण की आगामी पेशी दिनांक 29.07.15 को नियत थी लेकिन लोक अदालत में मनमाने तौर से निर्णय करने के लिये अपीलांट को निजी तामील करवाये बिना अपीलांट की उपस्थिति बताकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। राजस्थान सरकार का राजस्व अभियान में लोक अदालत में राजीनामा के जरिये अधिकाधिक मुकदमा निस्तारित करने का उद्देश्य है लेकिन इस अभियान की आड़ में मेरिट पर बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया जो गलत है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा, बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया है तथा निर्णय में रेस्पोडेंट नं. 1 के पक्ष में बिना किसी आधार के प्रथमदृष्टया केस मानने में भूल की है तथा प्रथम सैटलमेंट में इन्द्राज से रेस्पोडेंट की आराजी होना प्रमाणित नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रस्तुत कर रखा है। काफी दस्तावेज पेश किये है जो पत्रावली में संलग्न है तथा अपीलांट के जवाब के कथनों से रेस्पोडेंट का प्रथमदृष्टया केस प्रमाणित नहीं है तथा रेस्पोडेंट का कब्जा भी प्रमाणित नहीं है तथा मौके पर अपीलांट काबिज होने से काफी दस्तावेज पेश किये है तथा राजस्व रेकर्ड के इन्द्राज की स्थिति को स्पष्ट किया है जिसके लिये अपीलांट के जवाब के पद संख्या 4 व 5 को पढ़ा जावे। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट की पाईप लाईन लगी हुई है। विद्युत कनेक्शन शिफ्ट करवाया है। रेस्पोडेंट को वाद प्रस्तुत करने तक वादग्रस्त आराजी की मौके स्थिति तक मालूम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के जवाब के कथनों में अपने निर्णय में विवेचित नहीं किया है तथा केवल रेस्पोडेंट के कथन को ही यथावत् मानते हुये मनमाने तौर पर न्यायिक मंशा के विपरित जाकर अपीलांट के हकूकों पर कुठाराघात करने के लिये राजस्व केम्प में बिना सुनवाई आदेश पारित किया तथा रेस्पोडेंट का प्रथमदृष्ट्या केस प्रमाणित प्रमाणित नहीं है। रेस्पोडेंट का कब्जा मौके पर नहीं है। अपूर्णनीय क्षति बिन्दु रेस्पोडेंट के हक में नहीं होकर अपीलांट के हक में है। सुविधा के संतुलन का बिन्दू भी रेस्पोडेंट के हक में प्रमाणित नहीं है। अपीलाण्ट उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा रेकर्डेड खातेदार को कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटीपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय अपास्त करावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं संगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है–

1. अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जालोर द्वारा प्रकरण संख्या 24/2013 में पारित आदेश दिनांक 26.06.2015 के विरूद्ध दिनांक 16.07.2015 को यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली दिनांक 26.06.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में निर्णित की गई। इससे पूर्व पत्रावली दिनांक 07.07.2014 से वास्ते बहस नियत रही हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर कैम्प कोर्ट में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। कैम्प कोर्ट नियमित कोर्ट के समान ही होता है तथा कैम्प कोर्ट को लोक अदालत नहीं माना जा सकता। अतः अपीलांट का यह कथन कि प्रकरण लोक अदालत में निर्णित किया गया है, स्वीकार्य नहीं हैं।

2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में विस्तृत विवेचन के साथ निर्णय पारित किया है तथा चूंकि प्रकरण के संबंध में पुश्तैनी आराजी में खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित वाद विचाराधीन होना अंकित है। विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में प्रथमदृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रार्थी वादी रेस्पोंडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी को ताफैसला वाद रिकॉर्ड व मौके की स्थिति में परिवर्तन नहीं करने के लिए पाबंद किया है, के संबंध में हमारा विनम्र मत है चूंकि वादग्रस्त आराजी के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद विचाराधीन है तथा बेचान हस्तांतरण तथा मौके की स्थिति में बार–बार परिवर्तत जिसकी संभावना रहती हैं, से प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होती है, जिससे वादी को अनावश्यक कठिनाई के साथ–साथ विचारण न्यायालय को भी प्रकरण के समुचित न्याय–निर्णयन में दुविधा होती हैं। अतः हमारे विनम्र मत में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक उचित एवं विधिसंगत नहीं होगा। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज/अस्वीकार किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रेस्पोंडेंट्स बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली